

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India



सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1681]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2010/भाद्रपद 22, 1932

No. 1681]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2010/SHRAVANA 22, 1932

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2010

का.आ. 1996(अ).—केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) चौथा संशोधन नियम, 2010 है।
- (2) ये 1 सितम्बर, 2010 से प्रवृत्त होंगे।
2. परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 के उप-नियम (2), उप-नियम (3), उप-नियम (4), उप-नियम (5) और उप-नियम (6) में "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" शब्दों के स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं शब्दों के स्थान पर "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति" शब्द क्रमशः रखे जाएंगे।
3. उक्त नियमों की अनुसूची VII में,—
  - (क) क्रम संख्या 2 के सामने, शीर्षक तत्स्थानी कर्तव्य के अधीन, मद vi और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा;
  - (ख) क्रम संख्या 4 के सामने, शीर्षक तत्स्थानी कर्तव्य के अधीन, मद vii के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—
 

"viii. पुनःचक्रण या पुनःप्रसंस्करण के रजिस्ट्रीकरण का रजिस्ट्रीकरण और नवीनीकरण"
4. उक्त नियमों में, उक्त नियमों के प्रारूप 5 से संलग्न, शीर्षक के अधीन "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 23-21/1999-एसएसएमडी]

राजीव गोबा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण संख्यांक, का. आ. 2265(अ), तारीख 24 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्पूर्वी संशोधन संख्यांक का. आ. 1799(अ), तारीख 21 जुलाई, 2009, का. आ. 2447(अ), तारीख 23 सितम्बर, 2009 और का. आ. 710(अ), तारीख 30 मार्च, 2010 द्वारा किए गए थे।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2010

S.O. 1996(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008, namely :—

1. (1) These rules may be called the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Fourth Amendment Rules, 2010.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of September, 2010

2. In the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8, in sub-rules (2), (3), (4), (5) and (6), for the words "Central Pollution Control Board", at all the places wherever they occur, the words "State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee" shall respectively be substituted.

3. In the said rules, in Schedule VII,—

(a) against serial number 2, under the heading corresponding duties, item vi and the entry relating thereto shall be omitted.

(b) against serial number 4, under the heading corresponding duties, after item vii, the following shall be inserted, namely,—

"viii. Registration and renewal of registration of Recyclers or Re-processors"

4. In the said rules, in FORM 5 appended to the said rules, under the heading, for the words "Central Pollution Control Board", the words "State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee" shall be substituted.

[F. No. 23-21/99-HSMD]

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 2265(E), dated the 24th September, 2008 and subsequently amended *vide* number S.O. 1799(E), dated the 21st July, 2009, S.O. 2447 (E), dated the 23rd September, 2009 and S.O. 710 (E), dated the 30th March, 2010.